

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम,  
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2016

विषयः: वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत, बदलापुर जनपद जौनपुर की पुनर्गठन पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, (नागर) 30प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 78/ नागर-2/033-304/16, दिनांक 06.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत, बदलापुर जनपद जौनपुर की पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 1024.87 लाख (रू0 दस करोड़ चौबीस लाख सत्तासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 68.12 लाख (रू0 अरसठ लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


- (1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
- (7) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-193-नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्य हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-502/दस-2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

  
(रंग बहादुर सिंह)


उप सचिव।

संख्या-35/2016-381/नौ-5-16-199बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/ जौनपुर।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- मुख्य अभियंता (वा0 क्ष0), 30प्र0 जल निगम, वाराणसी।
- 9- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, 30प्र0 जल निगम, जौनपुर।
- 10- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बदलापुर जनपद जौनपुर।
- 11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

  
(रंग बहादुर सिंह)  
उप सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-09/03/2016

प्रेषण संख्या:- 35  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-35-2016-381-9-5-16-199B-2015  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)  
01 - जलपूर्ति  
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य  
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय  
01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	6812000 145111500	6812000 145111500
	योग	वर्तमान प्रगामी	6812000 145111500	6812000 145111500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया अड़सठ लाख बारह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया चौदह करोड़ इक्यावन लाख ग्यारह हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी